



मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम

Headquarters, Employees' State Insurance Corporation
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002

Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002

www.esic.nic.in

संख्या : ए-50/11/1/2012-रा.भा.

दिनांक : 19 मई, 2014

सेवा में,

1. बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, नई दिल्ली।
2. सभी क्षेत्रीय निदेशक, क.रा.बी. निगम, क्षेत्रीय कार्यालय।
3. सभी निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय।
4. निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा/के.के. नगर।
5. सभी वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/राज्य चिकित्सा आयुक्त।
6. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम अस्पताल।

विषय: हिंदी भाषा, हिंदी टंकण/हिंदी शब्द संसाधन तथा हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रदान किए जाने वाले वैयक्तिक वेतन तथा नकद पुरस्कार के लिए निर्धारित शर्तों के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय/महोदया,

निगम मुख्यालय के उपर्युक्त विषय से संबंधित दिनांक 26.06.13 के समसंख्यक पत्र के संदर्भ में कुछ कार्यालयों ने इसके प्रथम पृष्ठ के अंतिम पैरा के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या जिनकी मातृभाषा पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, सिंधी ('ख' वर्ग); मराठी, गुजराती, बंगाली, उडिया, असमिया ('ग' वर्ग) या अन्य संबंधित भाषा है, उन्हें प्रवीण तथा प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नकद पुरस्कार नहीं मिलेगा।

इस संबंध में सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त संदर्भित पैरा प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में था न कि प्रवीण तथा प्राज्ञ परीक्षा के लिए।

वेबसाइट के विषय-सूची का प्रबंधन.....
Website Contents Management.....
कार्य सं / Diary No. 381.....
दिनांक / Date 19/05/14.....

अतः स्पष्ट किया जाता है कि नीचे दी गई तालिका के अनुसार जो कर्मचारी जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश का पात्र है वह संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर यथा निर्धारित शर्तों के अनुसार नकद पुरस्कार का भी हकदार है।

हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण देने के लिए भाषा वर्ग

क्र.सं.	वर्ग	मातृभाषा	प्रवेश पाठ्यक्रम पात्रता
1.	'क'	हिंदी और जो हिंदी अच्छी तरह जानते हैं	कोई प्रशिक्षण आवश्यक नहीं
2.	'ख'	पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, पश्तो या अन्य संबद्ध भाषा	सीधे प्राज्ञ में प्रवेश। प्रबोध तथा प्रवीण प्रशिक्षण आवश्यक नहीं।
3.	'ग'	मराठी, गुजराती, बंगला, सिंधी, उडिया, असमिया, नेपाली या अन्य संबद्ध भाषा	सीधे प्रवीण में प्रवेश। प्रबोध प्रशिक्षण आवश्यक नहीं।
4.	'घ'	दक्षिण भारतीय भाषा, अंग्रेजी, मिज़ो या मणिपुरी	प्रबोध में प्रवेश

वैयक्तिक वेतन संबंधी शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

इसके द्वारा उप क्षेत्रीय कार्यालय, बैरकपुर तथा क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के उपर्युक्त से संबंधित पत्रों का समाधान हो जाता है।

भवदीय,



(डॉ. पन्ना प्रसाद)

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

प्रतिलिपि :

वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इस अनुरोध के साथ कि इसे क.रा.बी. निगम की वेबसाइट पर अपलोड कराएं।



संयुक्त निदेशक(राजभाषा)